



इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. : 25

दिनांक : 22.01.2025

योजना क्रमांक 103 में नवनिर्मित बहुमंजिला भवन "पलाश" में 43 आवासीय उपयोग के (2 BHK & 3 BHK) प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्युटर द्वारा लॉटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवासीय प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है—

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्गमीटर).	कारपेट एरिया व.मी.में.	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	2-BHK	23	आवेदन फार्म में	130.38 से 142.82	70.40 से 75.20	63.27 से 68.87	7.00
2	3-BHK	20	संलग्न सूची अनुसार	177.01 से 199.56	97.00 से 102.00	84.95 से 95.77	10.00



लोकेशन हेतु स्केन करें



लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	30-01-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	20-02-2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर जाँचने का दिनांक एवं समय	21-02-2025	11:30 hrs. Onwards
4	पात्र आवेदकों की कम्प्युटर के माध्यम से लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	03-03-2025	12:30 hrs.

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों का चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी आवश्यक डाक्यूमेंट की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयवाधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- तल मंजिल पर वाहन पार्किंग, भूमिगत व उच्चस्तरीय पानी की टंकी, नर्मदा लाईन से जलप्रदाय की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी की सुविधा।
- योजना अंतर्गत प्रथम कब्जा दिनांक से 2 साल की संधारण अवधि हेतु निविदा प्रपत्र अनुसार संधारण राशि जी.एस.टी. सहित जमा करना होगी।
- योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-19-2071 है।
- लॉटरी में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- लॉटरी दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर लॉटरी अगले कार्यकारी दिवस को सम्पन्न की जावेगी।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये मार्केटिंग सेल (मो. 98936-99113) पर संपर्क करें
एवं प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।